न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द

अपील संख्या 2018/00434 (314/2018) 223 आरटीएक्ट

अजीतसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी गंदरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ

–अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा –रेस्पोडेण्ट्

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी भादरा दिनांक 20.8.2018 प्रकरण संख्या 158/2016

उपस्थितः–

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री मागेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः–15.02.2019

1. रेस्पोडेण्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक वाद पत्र पेश किया। वाद पत्र में कथन किया कि प्रतिवादी ने अपनी भूमि का गैर कृषि कार्य में उपयोग के लिए सक्षम सवीकृति व संपरिवर्तन न कराकर नियमों का उल्लंघन किया है, जो धारा 177 का उलंघन है वह सदभावी काश्तकारी की श्रेणी में नहीं आता है अतः भूमि को सिवाय चक घोषित की जावे। उपखण्ड अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 20.8.2018 उसके द्वारा भूमि को सिवाय चक भूमि घोषित किये जाने के आदेश दिये तथा वाद भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करने का निर्णय पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि वर्तमान में अकृषि कार्य के अलावा अन्य उपयोग उपभोग में नहीं ली जा रही है। मौके पर फसल नरमा व ग्वार काश्त है परन्तु इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि के रूपांतरण हतू भी कार्यवाही सक्षम अधिकारी के यहां कर रखी है जो आज भी विचाराधीन है। अपीलाण्ट प्रश्नगत भूम को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतू तत्पर एवं इच्छुक है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं हुआ है। विधिक प्रावधानानुसार कोई भी काश्तकार बिना स्वीकृति के 1/50 हिस्से तक कृषि भूमि को अकृषि भूमि हेतू प्रयोग में ले सकता है। सक्षम अधिकारी ने रूपांतरण संबंधी पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की जिससे अपीलान्ट को क्षति पहुँचाई जा सकती है। तहसीलदार हल्का ने 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अपीलान्ट को दावा प्रस्तुती से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया ना ही उपखण्डाधिकारी के यहां जो वाद प्रस्तुत हुआ है वह वादी द्वारा सत्यापित किया है जाब्तादिवानी के प्रावधानो की पालना नहीं की गई है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट नियमानुसार रूपांतरण राशि जमा करवाने हेतू तत्पर है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपातंरण करवाये बिना ईंट भट्टा लगाकर उपयोग में लाई जा रही है जो अकृषि का कार्य है जबकि भूमि कृषि प्रयोजनार्थ दी गई है जिस पर अन्य गैर कृषि कार्यो में उपयोग के लिए सक्षम स्वीकृति लिये बिना रूपांतरण न करवाकर नियमों का उल्लघंन किया है जो धारा 177 का स्पष्ट उल्लघन है। अपीलान्ट सद्भावी काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. अपील में तथ्य आए है कि अपीलान्ट ने उपखण्डाधिकारी के यहां प्रश्नगत भूमि के रूपांतरण हेतू कार्यवाही कर रखी है एवं अपने कथनो के समर्थन में भूमि रूपातंरण से संबंधित जैरकार कार्यवाही हेतू प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र एवं ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति एवं रिपोर्ट हल्का पटवारी प्रस्तुत की है। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हानिप्रद कार्य का शर्त भंग के कारण बेदखली के प्रावधान किए गये है जिसमें उपधारा (3) में यह उल्लेख है कि इस धारा के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र दिये जाने पर न्यायालय विपक्षी को एक नोटिस जारी करेगा जिसमें उसे ऐसी अवधि जो नोटिस में उल्लेखित की जाए के अन्दर उपस्थित होने और इस बात का कि उसे भूमि क्षेत्र से बेदखल क्यों न कर दिया जाए कारण बताने का आदेश देगा। उपधारा (4) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि वह नोटिस में उल्लेखित अवधि के भीतर उपस्थित होता है और बेदखल किये जाने के दायित्व का विरोध करता है तो न्यायालय यथोचित न्यायालय शुल्क का भुगतान करने पर उस आवेदन पत्र को वाद समझेगा और उस मामले में उसी प्रकार कार्यवाही करेगा जिस प्रकार की एक वाद में कार्यवाही कर निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा धारा 178(2) में यह प्रावधान है कि "ऐसी डिक्री या आज्ञा में यह भी निर्देश होगा कि अगर आसामी डिक्री या आज्ञा की तारीख से तीन महीने के भीतर या ऐसी अग्रेतर अवधि के भीतर जिसके लिए न्यायालय कारण लिख कर अनुमति दे, टूट–फूट की मरम्मत करवा दे, या ऐसे मुआवजे का भुगतान कर दे जो न्यायालय उचित समझे तो डिक्री या आज्ञा का लागत के अलावा अन्य किसी के लिए निष्पादन नहीं किया जायेगा।" यहां इस तरह के कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, जो अपेक्षित थे। मौजुदा प्रकरण में अपीलान्ट का यह कथन आया है कि वह भूमि का रूपातंरण करवाकर रूपातंरण शुल्क जमा करवाने हेतू तत्पर व इच्छुक है, इसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलांट ने सम्परिवर्तन बाबत विचाराधीन कार्यवाही के दस्तावेज़ भी प्रस्तुत किये हैं। परन्तु भूमि रूपातंरण संबंधित तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं आए है। ऐसी परिस्थिति में अपीलाधीन निर्णय पारित करते वक्त उक्त तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं होने के कारण उक्त तथ्यों पर बिना गौर किए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है जो उचित नहीं हैं। यदि खातेदार नियमन प्रक्रिया का पालन करते हुए देय शुल्क का भगतान कर नियमानुसार कार्यवाही करवाना चाहता है तो उसका भी परीक्षण करते हुए निस्तारण किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपास्त योग्य है एवं अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार है।

7. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिनस्थ न्यायालय को उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उभयपक्षकारान से पुनः साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः परीक्षण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय हेतू पत्रावली प्रति प्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15/2/19

मूल चन्द (आर०ए०एस०)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)